

विद्यार्थ

9 विक्रम

कृष्ण पत्रा

कृष्ण वंशीराम

29/2/20

श्रीमन्मन्त्री

है उद्योग

कृष्ण हीराम

1 सुख

2 पत्रा (कामाभू)

3 रीत बाबू

4 अरि

19/16

रीत तापेनी

यदि विद्या गद्या जिदिया बोध ऐन (17)
 गद्य कादा। क्रमः प्रतिकारी 10 के
 वापस मुकादा 7 के स्वीकार 22
 लिदा गद्या प्रतिकारी 10 के
 वापस मुकादा 7 के उपस्थित
 पत्रावली का कवलोकन किदा गद्या
 प्रकाश लोक कडामर के कापने एका
 गद्या। लोक कडामर के लक्षणों
 की महदाईश के कापाने राजीनामा
 लक्ष मुकादा जी निष्ठागुला है
 वादी एवं प्रतिकारीगण के महदा
 राजीनामा हो चुका है। वादीका
 चाहे जमे अनुमोष क लड़ तक
 स्वीकार कर लिदा जावे। क्रमः
 प्रकाश लोक कडामर के द्वारा
 स्वीकार किम जमे काकेडन अनुका
 निर्णय विदा जाता है। वादीका
 काकेडन तथा उद्योग लोक कडामर
 के लक्षणों के उद्योग विदा गद्या
 अनुमोषन वाड के निर्णय की मांग
 होकर। पत्रावली के लक्षण मुका
 हतक दावीवत दफ्तार है।

पत्रावली वकील वादी के प्राथमिक पत्र पर पेशी पर ली
 गई। पत्रावली का अनुमोषन किदा गद्या। वकील वादी
 द्वारा स्टांप प्रस्तुत होने पर पत्रावली व तदीर
 जारी हो।

रिहायक कलेक्टर (पु.)
 बायोप

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत.सहायक कलक्टर (मु.) मुकाम नागौर बइजलास ए. एच. गौरी. आर. ए. एस.
जवानाराम पुत्र रामाराम जाति गुर्जर निवासी गाजु तहसील मूण्डवा जिला नागौर वादी

बनाम

1. प्रेमराम पुत्र भंवरलाल
2. दयालराम पुत्र भंवरलाल
3. प्रहलादराम पुत्र भंवरलाल
4. शान्तिदेवी पत्नि भंवरलाल
5. सियाराम पुत्र कालूराम
6. गोविन्दराम पुत्र कालूराम
7. परमा पत्नि कालूराम
8. बंशीराम पुत्र सुजाराम
9. सुखराम पुत्र सुजाराम
10. जगाराम पुत्र सुजाराम
11. गुटीदेवी पत्नि सुजाराम
12. हणुताराम पुत्र रामाराम
13. हीराराम पुत्र रामाराम
14. तमाम जाति गुर्जर निवासीगण गाजु तहसील मूण्डवा जिला नागौर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा

प्रतिवादीगण

दावा बंटवाडा खेताय, घोषणा हक खातेदारी व रेकर्ड दुरुस्ती अधीन धारा 53, 88 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 सपडित धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

मुकदमा नं 73 सन् 2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू
बहाजरी मिनजानिब मुदई ब
मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद वादी वाद के पैरा
संख्या 9 में चाहे गये अनुतोष अनुसार निम्नानुसार जारी की जाती है-
(क) ग्राम गाजु के खसरा संख्या 582/745 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा में से उतरी 04 बीघा 17 बिस्वा
प्रतिवादी संख्या 12 हणुताराम के व दक्षिणी हिस्सा 04 बीघा 17 बिस्वा वादी जवानाराम एंव (ख) ग्राम
गाजु के खसरा संख्या 429 रकबा 26 बीघा 06 बिस्वा में से पूर्वी हिस्सा 13 बीघा 03 बिस्वा वादी
जवानाराम के तथा शेष पश्चिमी हिस्सा 13 बीघा 03 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 13 हीराराम के एंव (ग)
ग्राम गाजु के खसरा संख्या 584 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 13 हीराराम के एंव (घ)
ग्राम गाजु के खसरा संख्या 584/775 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा को वादी जवानाराम के एंव (ड) ग्राम
गाजु के खसरा संख्या 645 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 12 हणुताराम के बंट, कब्जे
काश्त व खातेदारी का घोषित किया जाता है।

बीज मुबलिग. बाबत् खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह
फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.01.2016 को जारी की गई।



(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प वकालात नामा	—	—
स्टाम्प वकालात नामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महनताना वकील पर	—	—
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	—	—
मुतफर्रिक	—	—			
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोट:— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(स.एच.गौरी)
 आर.ए.एस.
 सहायक कलेक्टर (मु.) नागौर